तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रमेश कुमार बनाम लो.सू.अ. (जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 41/2023	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-02-2023	अपीलार्थी रमेश कुमार, निवासी पिपासर नगर, भीमसागर तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.12..2022 में (1) पंचायत चुनाव जनवरी 2015 में सम्पन्न हुए जिसके अन्तर्गत पंचायत समिति औसियां के ग्राम पंचायत भीमसागर से सरपंच पद प्रत्याशी अशोक कुमार ने आवेदन पत्र के साथ संतान संबंधी जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया उसकी प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर) (पंचायत चुनाव) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला निर्वाचन कार्यालय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला निर्वाचन कार्यालय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 79 दिनांक 02.02..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रार्थी रमेश कुमार के उपरोक्त पते पर जरिये रजिस्टर डाक से भेजी गई थी जो कि पता अपूर्ण होने के कारण डाक विभाग द्वारा पुनः इस कार्यालय को लौटा दी गई है। रिपोर्ट के साथ संलग्न कागजात का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जिला निर्वाचन कार्यालय के पत्रांकः एफ 37(1)( ) निर्वा/RTI/2021/770 दिनांक 26.12.2022 के जरिये प्रार्थी को सूचित किया गया कि पंचायत युनाव 2015 पंचायत समिति औसियां के ग्राम पंचायत भीमसागर सरपंच पद प्रत्याशी अशोक कुमार से संबंधित रिकॉर्ड दिनांक 21.03.2021 के आदेश से नष्टीकरण कर दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पंचायत चुनाव 2015 से संबंधित रिकॉर्ड का नष्टीकरण किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	